

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 123 / 2014

तारीख रजु 09.10.2014

उनवान

रेशमदेवी पत्नी केवलराम जाति जाटव निवासी लहचौडा तहसील हिण्डोन जिला करौली।
—————वादीया

बनाम

श्यामसुंदर पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी लहचौडा तहसील हिण्डोन जिला करौली।
—————प्रतिवादीगण (04)

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री शांति लाल करसौलिया एडवाकेट।

प्रतिवादीगण की ओर से :-कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 04.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीया की ओर वकालतन एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम लहचौडा तहसील तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 1736, 1739, 1740, 1922 के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वादी पक्ष अनुपस्थित है ना ही प्रकरण में तलवाना पेश किया गया है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 123/2014 रेशमदेवी बनाम श्यामसुंदर अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

